



# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

## Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No.: 1850/2022

दिनांक/Date.: 11-03-2022

### संवाद-203

विषय:-अभ्यर्थियों द्वारा मा0 न्यायालय में दायर की जा रही रिट याचिकाओं के संबंध में :-

प्रिय अभ्यर्थियों,


अवगत कराना है कि आयोग की चयन प्रक्रियाओं से संबंधित कई मामलों में अभ्यर्थियों द्वारा रिट याचिकायें प्रस्तुत की जा रही हैं। ऐसी 02 रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों को मैं इस संवाद के माध्यम से आपसे साझा करना चाहता हूँ:-

पहला मामला अभ्यर्थी श्री विकासदीप धनोला का है जिन्होंने मा0 उच्च न्यायालय में अवर अभियंता(सिविल) के चयन के मामले में यह याचिका प्रस्तुत की कि आवेदन पत्र में गलती से वे पुरुष की जगह महिला अंकित कर चुके हैं, किंतु उनके अंक अधिक हैं अतः उन्हें चयन का अवसर दिया जाये। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2021 को उनकी याचिका खारिज कर दी गयी जिसको उन्होंने मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दी। इस मामले में दिनांक 04 मार्च, 2022 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा श्री धनोला की याचिका अस्वीकार करते हुये यह आदेश दिये कि आवेदन पत्र सही प्रकार से भरना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है एवं यदि याची की याचिका स्वीकार की जाती है तो एक ऐसा अभ्यर्थी चयन से बाहर हो सकता है जिसने अपना आवेदन पत्र सही प्रकार से भरा है।

एक अन्य मामले में अभ्यर्थियों द्वारा कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पदों को नियोक्ता विभाग की ओर से कम कर दिये जाने के निर्णय को चुनौती दी गयी। इस मामले में भी मा0 उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा याचिका को खारिज कर दिया व अभ्यर्थी श्री गोपाल दत्त चबडाल द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील योजित की गयी व इसको भी मा0 न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

इन मामलों को आपके संज्ञान हेतु इसलिए लाया जा रहा है कि अभ्यर्थी यह सोचते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऐसी याचिकाओं से वे चयन सूची में स्थान प्राप्त कर लेंगे। यह विचार उचित नहीं है व इससे अभ्यर्थियों का काफी समय व धन का अपव्यय होता है। अतः आप सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि मा0 उच्च न्यायालय में अनावश्यकवादों से बचें।

आयोग की ओर से,

  
(संतोष बडोनी)  
सचिव।

उत्कृष्टता

पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता